

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2, लखीमपुर-खीरी

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-252/2026

रजि० सं०-670/2026

CNR No. UPLP01-001220-2026

नन्हें उम्र 35 वर्ष पुत्र जागेश्वर निवासी ग्राम कमालुद्दीन, थाना पिसावां, जिला सीतापुर। हालपता मड़िया रोडनई बस्ती कस्बा व थाना मैगलगंज, जिला खीरी।
----- अभियुक्त।

बनाम

राज्य ----- विपक्षी।

मु०अ०सं०-270/2025

धारा-331(4), 305(ए) बी०एन०एस०

थाना-नीमगांव, जिला-लखीमपुर खीरी।

दिनांक 06.03.2026

संदर्भित जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त नन्हें की ओर से मु०अ०सं०-270/2025 धारा-331(4), 305(ए) बी०एन०एस० थाना-नीमगांव जिला खीरी के मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं तथा जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में यह कथन अंकित किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया हैं कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी के उक्त वाद में जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी के पास कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त वाद में सह अभियुक्त अजय चौधरी व मुश्ताक की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26/27. 06.2025 की रात में ट्रैक्टर के सहारे से दीवाल लांघकर चोर वादी रमाकान्त के घर में घुस आये और उसके बक्शो में रखा उसका जेवर एक हार, तीन अंगूठी, दो झाले, एक लाकेट, दो जोड़ टप्स, दे ओम सोने के तथा दो जेवरी, दो जोड़ी पायल, तीन चांदी के सिक्के, बिछिया दो जोड़, दो जोड़ मंगलसूत्र, चांवी का

गुच्छा चांदी के चुरा ले गये तथा उसका 31000 रूपया नगद चुरा ले गये है।

सुना तथा पुलिस प्रपत्र/केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नामजद अपराधी नहीं है। अभियुक्त के पास से माल मुकदमा की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त दिनांक 16.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। सहअभियुक्त की जमानत इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त का कोई जघन्य प्रकृति का आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। अतः मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नन्हें द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/—रूपये (एक लाख रूपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेंकिंग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन-जी-2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतियों के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूतियों के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

दिनांक 06.03.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0-2, लखीमपुर-खीरी।
JO CODE No. UP6367